न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 117/2015

1. श्री गणेश पुत्र रामचंद्र।
2. श्री प्रभुलाल पुत्र रामचंद्र।
   समस्त जातिगण बैरवा निवासीगण सुनारिया तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री नारायण पुत्र अर्जुन जाति बैरवा निवासी सुनारिया तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़ जिला अजमेर।

— अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील 1. श्री शैलेन्द्र जैन, प्रार्थी।

निर्णय दिनांकः— 04.11.2019

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वर्णित आराजी मौजा ग्राम सुनारिया तहसील सरवाड़ में स्थित है जिसक विवरण निम्न प्रकार से है।

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा	किस्म
134—113	202	0.44 हैक्ट.	बा. अ.

यह कि उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है तथा उक्त आराजीयात एकमात्र प्रार्थीगण के कब्जे आधिपत्य में चली आ रही है जिसमें कृषि उपज पैदा कर अपने परिवारजन का पालन पोषण करते चले आ रहे है। यह कि अप्रार्थी सं. 1 उक्त वर्णित भूमि का लगवा पड़ौसी है तथा आये दिन प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। इस बाबत उक्त अप्रार्थी सं. 1 ने दिनांक 02.06.2018 को प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जिस पर प्रार्थीगण द्वारा विरोध किये जाने पर अप्रार्थी द्वारा एलानियां धमकी दी गयी कि हम तुम्हारी जमीन पर जबरन कब्जा करेगें, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते हो जिस पर प्रार्थीगण ने दिनांक 12.06.2018 को अप्रार्थी तहसीलदार के समक्ष सीमाज्ञान करवाने का प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी तहसीलदार सरवाड़ के आदेशानुसार दिनांक 13.06.2018 को उक्त भूमि का सीमाज्ञान किया गया, लेकिन फिर भी अप्रार्थी लाठी की ताकत के आधार पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया। यह कि अप्रार्थीगण दिनांक 13.06.2018 को किये गये सीमाज्ञान के पश्चात भी आये दिन प्रार्थीगणों की भूमि में जबरन कब्जा करने हेतु आमादा है एवं प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर जबरन निर्माण करवाने को आमादा है। अतः उक्त भूमि का मुस्तकील बिन्दुओं से नापचोक करवाया

Scanned by CamScanner

जाकर पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया। यह कि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद नहीं किया जाता है तो प्रार्थीगण को अजहद क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन संभव नहीं होगा।

प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए:–

- प्रमाणित प्रतिलिपी जमावंदी ग्राम सुनारिया संवत् 2071–2074
- प्रमाणित प्रतिलिपी खसरा गिरदावरी ग्राम सुनारिया संवत् 2074

प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना अप्रार्थी अनुपस्थित रहने से अप्राथी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर जवाब बंद किया गया। प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के तथ्यों, बहस प्रार्थना पत्र व दस्तावेजों पर गहन विधिक मनन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी विवादित आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। अतः पृथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है।

प्रार्थी विवादित आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। रिकॉर्डेड खातेदार का सेटल पजेशन मानते हुए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है।

चूंकि पृथम दृष्टया व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान से प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति की संभावना है। अतः यह बिंदु भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है।

अतः प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 को पाबंद किया जाता है कि वो विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति बनाए रखे व प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न ना करे।

पत्रावली बाद तामील तकमील व तरमीम नंबर से कम की जावे तथा निर्णित में गणना की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.02.03 16:05:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: